न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 191/18

वादी :-
1-निम्बाराम पुत्र हरजीराम जाति गुर्जर
निवासी पीपलिया तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण:-
1-किशनाराम पुत्र हरजीराम
2-हेमाराम पुत्र हरजीराम
3-जगरूप पुत्र हरजीराम
सभी जातियान गुर्जर निवासीगण पीपलिया तहसील रियांबड़ी
4-तहसीलदार रियांबड़ी
5-पटवारी हलका आलनियावास
6-पटवारी हलका लाडपुरा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक व बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :- 5/6/18

वादी की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :-

1-यह है कि वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा विश्व विधालय बनारस शाखा से गर्वन होते है। व वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 आपस में सगे भाई है।
2-यह है कि मौज सूरजगढ की सरहद में खेत खसरा नंबर 489 रकबा 3.69 हैक्टर, 490 रकबा 5.99 हैक्टर,खसरा नंबर 505 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 506 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 508 रकबा 6.45 हैक्टर, व मौजा पीपलिया की सरहद में खेत खसरा नंबर 155 रकबा 0.52 हैक्टर,खसरा नंबर 158 रकबा 0.12 हैक्टर,खसरा नंबर 569/578 रकबा 0.99 हैक्टर,खसरा नंबर 298 रकबा 1.62 हैक्टर खसरा नंबर 528 रकबा 0.99 हैक्टर.वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की काश्त एंव कब्जासुद पैतृक आये हुए है। जिसको आगे वाद पत्र में मुतनाजा आराजी के नाम से जाना जायेगा।
3-यह है कि उपरोक्त विवादित आराजीयान करीब पांच साल पहले मौके पर बंटवारा कर लिया गया है। बल्कि रेकर्ड में बंटवारा कानूनी तौर पर नहीं हुआ है। जिससे वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 को भारी कानूनी पेचीदगीयां उत्पन्न हो रही है। जो बंटवारा किया वो निम्न प्रकार से है :-
1-मौजा सूरजगढ के खसरा नंबर 489 रकबा 3.69 हैक्टर व खसरा नंबर 490 रकबा 5.99 हैक्टर में 1/4 भाग निम्बाराम व हेमाराम के स्थान पर किशनाराम,जगरूप, पिसरान हरजी के बंट में घोषित किया जावें व बंट में रखा गया है।

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प रियांबड़ी
रियांबड़ी

2–मौजा सुरजगढ के खसरा नंबर 505 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 506 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 508 रकबा 6.45 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा किशनाराम व जगरूप के स्थान पर निम्बाराम हेमाराम पिसरान हरजीराम के नाम घोषित किया जावें।
3–मौजा पीपीलिया के खसरा नंबर 528 रकबा 0.99 हैक्टर में जगरूप पुत्र हरजीराम के स्थान पर वादी निम्बाराम पुत्र हरजीराम के नाम घोषित किया जावें ।
4–मौजा पीपीलिया के खसरा नंबर 155 रकबा 0.52 हैक्टर खसरा नंबर 158 रकबा 0.12 हैक्टर जगरूप पुत्र हरजीराम के बंट में रखा गया है। सो घोषित किया जावें।
5–मौजा पीपीलिया के खसरा नंबर 589/578 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण हेमाराम पुत्र हरजीराम के बंट में घोषित किया जावें व बंट में रखा गया है।
6–मौजा पीपीलिया के खसरा नंबर 298 रकबा 1.62 हैक्टर में सें रकबा 0.73 हैक्टर निम्बाराम पुत्र हरजीराम के बंट में पश्चिमी तरफ का व 0.73 हैक्टर हेमाराम पुत्र हरजीराम के पूर्वी तरफ व 0.16 हैक्टर किशनाराम पुत्र हरजीराम के उतरी तरफ के बंट में रखा गया है। सो घोषित किया जावें।
4–यह है कि उपरोक्त बंट के अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 अपने अपने हिस्से पर काश्त व काबिज है। अलग अलग सीवें माठे कायम की हुई है।
5–यह है कि प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 उक्त बंटवारा को नहीं मान रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवारा करने को कहा तो मना कर दिया। इसलिए वादी यह घोषणा व बंटवारा का वाद पेश कर रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया। सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है और आपस भाई है। और वादग्रस्त आराजी विरासत मे प्राप्त हुई है जो पैतृक है। जिसका आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिए राजीनामा के अनुसार पक्षकारान का बंटवारा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदीया मौजा पीपलिया व सूरजगढ का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी व सहखातेदारी की है। जो अपने पूर्वजो से उतराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाना चाहते है। पैतृक भूमि का बंटवाड़ा किया जाना वाजिब है।

अतः वादी का वाद जरिये सहमति से स्वीकार किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
1–मौजा सूरजगढ के खसरा नंबर 489 रकबा 3.69 हैक्टर व खसरा नंबर 490 रकबा 5.99 हैक्टर में 1/4 भाग निम्बाराम व हेमाराम के स्थान पर किशनाराम,जगरूप, पिसरान हरजी के बंट में घोषित किया जाकर बंट में रखा जाता है।
2–मौजा सुरजगढ के खसरा नंबर 505 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 506 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 508 रकबा 6.45 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा किशनाराम व जगरूप के स्थान पर निम्बाराम हेमाराम पिसरान हरजीराम के नाम घोषित किया जाकर बंट में रखा जाता है।
3–मोजा पीपलिया के खसरा नंबर 528 रकबा 0.99 हैक्टर में जगरूप पुत्र हरजीराम के स्थान पर वादी निम्बाराम पुत्र हरजीराम के नाम घोषित किया जाता है।

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प ...
रियां बड़ी

4—मौजा पीपलिया के खसरा नंबर 155 रकबा 0.52 हैक्टर खसरा नंबर 158 रकबा 0.12 हैक्टर जगरूप पुत्र हरजीराम के बंट में रखा जाता है।
5—मौजा पीपलिया के खसरा नंबर 589/578 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण हेमाराम पुत्र हरजीराम के बंट में घोषित किया जावें व बंट में रखा जाता है।
6—मौजा पीपलिया के खसरा नंबर 298 रकबा 1.62 हैक्टर में से रकबा 0.73 हैक्टर निम्बाराम पुत्र हरजीराम के बंट में पश्चिमी तरफ का व 0.73 हैक्टर हेमाराम पुत्र हरजीराम के पूर्वी तरफ व 0.16 हैक्टर किशनाराम पुत्र हरजीराम के उत्तरी तरफ का बंट में रखा जाता है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा करके राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें व अलग अलग खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः—उपरोक्त खसरान में से अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प—रियांबड़ी

निर्णय दिनांक 8|6|18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प रियांबड़ी में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प— रियांबड़ी